न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 106/2013/डिक्री

राधेश्याम पिता जगदीश चन्द्र कुमावत
निवासी महावीर भवन के सामने सोहनघाटी निम्बाहेडा
तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. अर्जुन उर्फ कन्हैयालाल पिता जगदीश चन्द्र कुमावत
   निवासी जावद दरवाजा निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
दिनांक 20.05.2013 प्रकरण सं. 326/2013

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सम्पत कुमार – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक– 10.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन है कि वाके मौजा कस्बा निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा मे वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 2 की खरीदशुदा संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 2472 रकबा 0.0100 है0 आराजी नम्बर 2473 रकबा 0.4600 है0 आ.न. 2474 रकबा 0.3000 आराजी नम्बर 2475 रकबा 0.2900 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.0600 है0 भूमि स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात को वादी व प्रतिवादी नम्बर 2 ने वर्ष 1991 मे रजिस्टर्ड बयनामे से खरीद की तथा आपसी सहमति से करीब 15 वर्ष पूर्व बराबर–बराबर आधा–आधा बंटवाडा कर रखा गया जिस पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा पश्चिम की ओर का 1/2 हिस्सा वादी के कब्जे काश्त मे चला आ रहा है। विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने से लगान जमा कराने व बैंक से ऋण प्राप्त करने को लेकर दोनो मे विवाद होते रहते है। वादी ने प्रतिवादी नम्बर 2 से कब्जे अनुसार अलग–अलग खातेदारी करने के लिए दिनांक 01/03/2013 को कहा तो वह इंकार हो गये इसलिये

बंटवाडा का दावा कराने की नोबत आयी। अतः अन्दर मियाद वाद पेश कर निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 2 के बीच बंटवाडा उपरोक्त कब्जे अनुसार किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन दिनांक 20/05/2013 को तलब किया और प्रतिवादी की तामील मानकर प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर उसी दिनांक को वादी का शपथ पत्र गवाह के रूप मे पेश कर अन्य कोई शहादत पेश नही करना कहते हुए उसी दिनांक को एक तरफा शहादत एवं एक तरफा कार्यवाही कर बहस सुनकर प्रकरण के तथ्यो के आधार पर वादी का वाद अंतिम डिक्री कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर वादी अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारीशुदा कोई सम्मन अपीलान्ट को आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 20/05/2013 की पेशी का कोई सम्मन अपीलान्ट को प्राप्त नही हुआ है तथा अपीलान्ट को जब ऐसी कोई सूचना पत्र आज दिनांक तक मिला ही नही तो उक्त सम्मन व नकल लेने से इंकार होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा फर्जी तरीके से फर्जी गवाह के हस्ताक्षर कराकर प्रोसेस सरवर से मिलकर गलत रिपोर्ट कराकर पेश कराई है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य किसी प्रकार का आपसी सहमति से बंटवाडा नही हुआ है तथा कोई हिस्से अलग नही कर रखे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जो ट्युबवेल अपने हिस्से मे होना बताई है उक्त ट्युबवेल शामलाती है और अपीलान्ट के हिस्से पर लगी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद मनमकसुद तरीके से अंतिम डिक्री कर दिया जबकि पहले प्राथमिक डिक्री बनाकर मौके की फर्द बंटवाडा सूची, मौके पर काबिज अनुसार तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर मंगवाना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट वादी ने एक वाद बंटवाडे का उक्त वाद से पूर्व प्रकरण संख्या 174/2012 ई0रे0 अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट के विरूद्ध पेश कर रखा है। धारा 10 जा0दी0 के तहत उक्त प्रकरण संख्या 326/2013 स्थगित किये जाने योग्य था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20/05/2013 निरस्त फरमायी जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मुख्यरूप से उन्ही तथ्यो का उल्लेख किया जो अपील मे है तथा मांग की गई कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 326/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जावे।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही हुई है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्ययन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि उक्त प्रकरण मे एक ही पेशी दिनांक 20/05/2013 मे निर्णय पारित कर दिया गया एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। जिसके कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 326/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20/05/2013 अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ